

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215428
CG-DL-E-15012020-215428

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]
No. 186]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

का.आ. 196(अ).—जबकि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिनांक- 15.05.2019 को पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (उपयोगकर्ता के भूमि पर अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (50/1962), (एतद्वारा 'उक्त अधिनियम' द्वारा संदर्भित) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत एस०ओ० संख्या 2008(ई) के माध्यम से जारी अधिसूचना, जो भारत के दिनांक 20.06.2019 को संख्या 1796 वाले असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा केंद्रीय सरकार ने ओएनजीसी द्वारा टीएनजी #3 से एमडीएम सीपीएफ पाइपलाइन तक गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य से इसी अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के अंतर्गत स्पष्टीकृत उपयोगकर्ता के भूमि पर अधिकार के अधिग्रहण का मन्तव्य घोषित किया था।

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसामान्य को उपलब्ध करा दी गई थी।

और जबकि, जनसामान्य द्वारा दर्ज आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर उन्हें निराकृत किया जा चुका है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है।

और जबकि, भारत सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर और संतुष्ट होकर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक है, निर्णय लिया है कि यहाँ उपयोगकर्ता के अधिकार को अधिग्रहीत किया जाए।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, भारत सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में स्पष्टीकृत भूमि पर उपयोगकर्ता के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अधिग्रहीत किया जाता है।

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, भारत सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि पर उपयोगकर्ता के अधिकार, भारत सरकार में निहित होने के स्थान पर, आज इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक पर, सभी प्रकार के ऋणधारों से निर्मुक्त होकर ओएनजीसी लिमिटेड में निहित हो जाएँगे।

अनुसूची

टीएनजी#3 से एमडीएम सीपीएफ ट्रंक पाइपलाइन परियोजना

राज्य : तमिल नाडु

का.आ. सं	जिला	तहसील / तलूक	गाँव	सर्वेक्षण	क्षेत्र		
					हेक्टेयर	एयर	स्क्वायर मीटर
1	नागपट्टिनम	सिरकाली	42. एडमानल	62/4	00	02	00
				62/3B	00	09	00
				62/2	00	01	00
				62/1B	00	06	50
				62/1A	00	07	50
				61/1B	00	01	00
				61/1C	00	08	50
				61/2A	00	04	00
				61/2B	00	05	50
				60	00	01	00
2	नागपट्टिनम	सिरकाली	41.थिरुमल्लेवासल	111	00	03	00
				103	00	36	00
				83	00	02	50
				79/1	00	10	50
				79/2A	00	05	50
				79/2B	00	05	50
				77	00	02	00
				76/1B	00	02	00

				75/1	00	12	00
				66/2	00	14	50
				65/1	00	12	00
				64	00	02	00
				63	00	02	50
				56/3	00	03	00
				56/4	00	04	00
				56/2	00	08	00
				31/6	00	04	50
				31/5	00	03	50
				31/4	00	11	50
				31/3	00	04	50
				26/2	00	11	50
				26/1	00	01	50
				25/2A	00	16	50
				6	00	09	00
				8/3	00	08	00
				8/1A	00	12	00
				4/5	00	03	00
				4/1	00	00	50
				3/3B	00	25	00
				1/1	00	36	00
				1/2	00	04	50
3	नागपट्टिनम	सिरकाली	39. वेस्टांगुडी	317/10	00	04	00
				317/9	00	04	00
				317/8	00	04	00
				317/7	00	05	00
				317/6B	00	03	50
				317/6A	00	03	50
				314/12	00	14	00
				314/13	00	07	50
				314/11	00	01	00
				331/1	00	17	00
				313/1	00	03	50

				332/1	00	19	00
				332/2	00	07	50
				530/6	00	02	50
				530/5	00	08	50
				530/1A	00	29	00
				530/3	00	03	00
				333/4	00	05	50
				333/2	00	03	00
				333/3	00	07	50
				527	00	00	50
				526/14	00	00	50
				526/17	00	06	50
				526/16	00	08	50
				526/15	00	08	50
				526/11B	00	06	00
				526/9	00	06	00
				526/10	00	07	00
				526/8	00	06	00
				526/6	00	06	00
				526/4	00	04	00
				526/3	00	00	50
				526/19	00	03	50
				526/18	00	19	00
				525	00	00	50
				523/2	00	12	50
				506	00	00	50
				505	00	78	00
				478	00	01	00
				477/1	00	25	00
				476	00	00	50
				472	00	78	00
				473	00	03	00
				413/2	00	17	00
				412	00	02	00

				403/2	00	15	00
				404/2	00	13	00
				404/1	00	01	00
				400	00	09	50
				156	00	07	50
				78/1	00	06	50
				45/1	00	10	00
				77	00	02	00
				76/2B	00	11	00
				46	00	04	00
				47/1	00	11	00
				49/3	00	07	00
				48/6	00	01	50
				48/5	00	07	00
				48/2	00	01	00
				48/1	00	11	50
				54	00	02	50
				57	00	08	50
				59/4	00	09	00
				59/2A	00	03	50
				60/1	00	00	50
				60/2B	00	19	50
				33	00	02	50
				32/2A1	00	27	00
				32/2A3	00	10	00
				31/2B2	00	12	00
				31/1	00	01	00
				29	00	28	50
4	नागपट्टिनम	सिरकाली	37 पलायपलायम	459/2	00	16	00
				458	00	14	00
				457	00	13	00
				456	00	02	00
				443	00	02	00
				445/1C	00	15	50

				445/1B	00	01	00
				445/1A	00	15	50
				446	00	01	50
				447/3	00	17	50
				452	00	01	00
				450/6	00	03	50
				450/7	00	03	50
				450/5	00	07	50
				449/1	00	01	00
				449/4A	00	23	00
				380	00	08	00
				401/2B1	00	09	50
				401/2B2	00	01	50
				401/3	00	01	00
				400	00	03	50
				399/2E	00	00	50
				399/1B1	00	02	00
				399/1B2	00	03	00
				391/3A	00	04	50
				391/3B	00	01	50
				391/4A	00	00	50
				391/4B	00	02	00
				391/4C	00	04	00
				391/5	00	12	50
				391/6	00	13	50

[फा. सं. O-12026/03/2019-ONG-III]

मोहन चन्द्र भट्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2020

S.O. 196(E).—Whereas by notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.2008 (E) dated 15.05.2019 issued under sub section (1) of section 3 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act , 1962, (50/1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.1796 dated 20.06.2019, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of gas through TNG # 3 to MDM CPF pipeline by the Oil and Natural Corporation of

India Limited.

And whereas, the copies of said Gazette Notification were made available to the public;

And whereas, the objections received from the public to the laying of pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas, the Competent Authority has under Sub- section (1) Section 6 of the Act, submitted its report to Government of India;

And whereas, the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this Notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by Sub-section 4 of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting the Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

TNG # 3 to MDM CPF TRUNK PIPELINE PROJECT

State : TAMIL NADU

Sl.No	District	Tehsil / Taluk	Village	Survey / Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Square Meter
1	Nagapattinam	Sirkali	42. Edamanal	62/4	00	02	00
				62/3B	00	09	00
				62/2	00	01	00
				62/1B	00	06	50
				62/1A	00	07	50
				61/1B	00	01	00
				61/1C	00	08	50
				61/2A	00	04	00
				61/2B	00	05	50
				60	00	01	00
2	Nagapattianm	Sirkali	41.Thirumullaivasal	111	00	03	00
				103	00	36	00
				83	00	02	50
				79/1	00	10	50
				79/2A	00	05	50
				79/2B	00	05	50
				77	00	02	00
				76/1B	00	02	00
				75/1	00	12	00
				66/2	00	14	50
				65/1	00	12	00
				64	00	02	00

				63	00	02	50
				56/3	00	03	00
				56/4	00	04	00
				56/2	00	08	00
				31/6	00	04	50
				31/5	00	03	50
				31/4	00	11	50
				31/3	00	04	50
				26/2	00	11	50
				26/1	00	01	50
				25/2A	00	16	50
				6	00	09	00
				8/3	00	08	00
				8/1A	00	12	00
				4/5	00	03	00
				4/1	00	00	50
				3/3B	00	25	00
				1/1	00	36	00
				1/2	00	04	50
3	Nagapattinam	Sirkali	39.Vettangudi	317/10	00	04	00
				317/9	00	04	00
				317/8	00	04	00
				317/7	00	05	00
				317/6B	00	03	50
				317/6A	00	03	50
				314/12	00	14	00
				314/13	00	07	50
				314/11	00	01	00
				331/1	00	17	00
				313/1	00	03	50
				332/1	00	19	00
				332/2	00	07	50
				530/6	00	02	50
				530/5	00	08	50
				530/1A	00	29	00
				530/3	00	03	00
				333/4	00	05	50
				333/2	00	03	00
				333/3	00	07	50
				527	00	00	50
				526/14	00	00	50
				526/17	00	06	50
				526/16	00	08	50

				526/15	00	08	50
				526/11B	00	06	00
				526/9	00	06	00
				526/10	00	07	00
				526/8	00	06	00
				526/6	00	06	00
				526/4	00	04	00
				526/3	00	00	50
				526/19	00	03	50
				526/18	00	19	00
				525	00	00	50
				523/2	00	12	50
				506	00	00	50
				505	00	78	00
				478	00	01	00
				477/1	00	25	00
				476	00	00	50
				472	00	78	00
				473	00	03	00
				413/2	00	17	00
				412	00	02	00
				403/2	00	15	00
				404/2	00	13	00
				404/1	00	01	00
				400	00	09	50
				156	00	07	50
				78/1	00	06	50
				45/1	00	10	00
				77	00	02	00
				76/2B	00	11	00
				46	00	04	00
				47/1	00	11	00
				49/3	00	07	00
				48/6	00	01	50
				48/5	00	07	00
				48/2	00	01	00
				48/1	00	11	50
				54	00	02	50
				57	00	08	50
				59/4	00	09	00
				59/2A	00	03	50
				60/1	00	00	50
				60/2B	00	19	50

				33	00	02	50
				32/2A1	00	27	00
				32/2A3	00	10	00
				31/2B2	00	12	00
				31/1	00	01	00
				29	00	28	50
4	Nagapattinam	Sirkali	37.Palayapalayam	459/2	00	16	00
				458	00	14	00
				457	00	13	00
				456	00	02	00
				443	00	02	00
				445/1C	00	15	50
				445/1B	00	01	00
				445/1A	00	15	50
				446	00	01	50
				447/3	00	17	50
				452	00	01	00
				450/6	00	03	50
				450/7	00	03	50
				450/5	00	07	50
				449/1	00	01	00
				449/4A	00	23	00
				380	00	08	00
				401/2B1	00	09	50
				401/2B2	00	01	50
				401/3	00	01	00
				400	00	03	50
				399/2E	00	00	50
				399/1B1	00	02	00
				399/1B2	00	03	00
				391/3A	00	04	50
				391/3B	00	01	50
				391/4A	00	00	50
				391/4B	00	02	00
				391/4C	00	04	00
				391/5	00	12	50
				391/6	00	13	50

[F. No. O-12026/03/2019-ONG-III]

MOHAN CHANDRA BHATT, Under Secy.